

राजस्थान सरकार  
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:10(216)कृषि/(ग्रुप-2)/1974

जयपुर, दिनांक 8 SEP 2021

अधिसूचना

राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन-कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु ग्राम प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़ में मंदिर श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह की कुल भूमि में से 2.11 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और जिसका सामाजिक समाघात मूल्यांकन, अध्ययन सेन्टर फॉर डवलपमेंट कम्प्यूनिकेशन एण्ड स्टडीज (CDECS), जयपुर द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित राज्य सरकार द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारंभिक अन्वेषण प्रस्तुत की गयी थी। सामाजिक समाघात मूल्यांकन रिपोर्ट/प्रारंभिक जांच का सार इस प्रकार है।

कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार कार्य हेतु भूमि अधिग्रहण साइटिफिकेट डिजाइन के अनुसार किया गया है और इनमें मौजूद विभिन्न फेक्टर को ध्यान में रखते हुये न्यूनतम भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे स्थानीय प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े व उनको अधिक से अधिक लाभ दिया जा सके।

सामाजिक समाघात प्रभाव निर्धारण अध्ययन एवं जनसुनवाई उपरान्त केयर टेकर/कब्जाधारी, कृषि उपज मण्डी समिति के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार कार्य के लिये भूमि अवाप्ति हेतु तैयार है। मंदिर श्री रामचन्द्रजी स्थानदेह की भूमि के केयर टेकर/कब्जाधारियों द्वारा मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार हेतु पूर्ण रूप से सहमति प्रदान की गयी है एवं इसके निर्माण से किसानों को लाभ व आमजन को मण्डी संचालन के समय आने वाली समस्याओं से भी निजात मिलेगी। सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन इकाई द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के मुख्य मण्डी प्रांगण के विस्तार एवं भू-धारकों को उचित मुआवजा देने की भी अनुशंसा की गई।

भूमि अर्जन के कारण शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है।

उपखण्ड अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिये प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। अतः जिला प्रतापगढ़ की तह0 प्रतापगढ़ के ग्राम प्रतापगढ़ में उक्त परियोजना के लिये 2.11 हेक्टेयर भूमि जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया जाता है—

क्र. सं.	खसरा संख्या	गांव का नाम	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	भूमि अर्जन क्षेत्र (हेक्टेयर)	भूमि धारक/हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमाएँ				संरचना	पेड़
							उ.	द.	पू.	प.		
1.	769	प्रतापगढ़	राज. सरकार	अडान-1 बी-1	0.62	श्री रामचन्द्रजी स्थान देह हिस्सा-पूर्ण देवताओं के खाते	आरा जी संख्या 764 व 767	आरा जी संख्या 770	आम रास्ता	आरा जी संख्या 765	0	0
2.	770	प्रतापगढ़	राज. सरकार	बी-1	0.14	श्री रामचन्द्रजी स्थान देह हिस्सा-पूर्ण देवताओं के खाते	आरा जी संख्या 769	आरा जी संख्या 772	आम रास्ता	आरा जी संख्या 765	0	0
3.	771	प्रतापगढ़	राज. सरकार	धामनी	0.01	श्री रामचन्द्रजी स्थान देह हिस्सा-पूर्ण देवताओं के खाते	आरा जी संख्या 770	आरा जी संख्या 772	आम रास्ता	आरा जी संख्या 772	0	0
4.	772	प्रतापगढ़	राज. सरकार	अडान-1 बी-1 धामनी	1.21	श्री रामचन्द्रजी स्थान देह हिस्सा-पूर्ण देवताओं के खाते	आरा जी संख्या 770	आरा जी संख्या 773	आम रास्ता	मण्डी की जमीन	0	0
5.	773	प्रतापगढ़	राज. सरकार	धामनी	0.13	श्री रामचन्द्रजी स्थान देह हिस्सा-पूर्ण देवताओं के खाते	आरा जी संख्या 772	मण्डी की जमीन	आम रास्ता	मण्डी की जमीन	0	0
		कुल योग			2.11						0	0

यह अधिसूचना इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013, (2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।


भूमि से संबंधित रेखांकन भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) प्रतापगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्यसमय के दौरान निरीक्षित किया जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित और विनिर्दिष्ट भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) प्रतापगढ़ और उसके कर्मचारी वृन्द को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या भेदन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिवस के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से

  
(बृज गुप्ता)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
2. प्रमुख शासन सचिव, माननीय, मुख्यमंत्री महोदय (मा. कृषि विपणन मंत्री महोदय) राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
4. जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़
5. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कृषि विपणन खण्ड उदयपुर।
7. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़।
8. रक्षित पत्रावली।

  
शासन उप सचिव